पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-20.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री प्रमोद कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव, स०वि०स०	"भारत सरकार द्वारा उग्रवाद प्रभावित राज्यों के छः (6) जिलों में एक-एक अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (ITI) खोलने का निर्णय लिया गया है । बिहार राज्य में छः (6) उग्रवाद प्रभावित जिलों का चयन किया गया है, जिसमें जमुई जिला भी सम्मिलित है । श्रम संसाधन विभाग द्वारा जमीन की मांग पर प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, जमुई की सहमति से जिलाधिकारी, जमुई की अनुशंसा पर आयुक्त, मुंगेर ने उग्रवाद प्रभावित जिला जमुई के गिद्धौर प्रखंड के मौजा महुली में 5 एकड़ जमीन श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार को स्थानान्तरित कर भेज दिया है, परन्तु राज्य सरकार द्वारा आज तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका है । अतः उक्त स्थान पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु अग्रतर कार्रवाई के लिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	श्रम संसाधन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री सदानन्द सिंह, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री मो० जावेद, स०वि०स० श्री अवधेश कुमार राय, स०वि०स०	"भागलपुर, राज्य का दूसरा सबसे पुराना जिला रहा है । एक समय में इसकी सीमा बंगाल-झारखण्ड के बहुत बड़े हिस्से तक थी । इन राज्यों के मरीजों को ईलाज हेतु दिल्ली जाना पड़ता है । केन्द्रीय बजट में बिहार के लिए विशेष सहायता के तहत वित्त मंत्री, भारत सरकार ने बिहार को ''एम्स'' जैसा एक और संस्थान देने की घोषणा की है । पटना में ''एम्स'' पहले से है, यदि भागलपुर में ''एम्स'' जैसे संस्थान स्थापित होता है तो झारखण्ड एवं पं० बंगाल के लाखों की आबादी के ईलाज के साथ-साथ बिहार के पूर्णियां, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, कटिहार, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया, बांका, मुंगेर, जमुई आदि जिला के साथ-साथ भागलपुर जिला के भी मरीजों के सुलभ चिकित्सा का मार्ग प्रशस्त होगा । इस जिला में ''एम्स'' के लिए जरूरी 400 एकड़ भूमि की उपलब्धता भी आसानी से हो जाएगी । अतएव भागलपुर जिला में ''एम्स'' की स्थापना एवं उसके लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य शीघ्र शुरू करने हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	स्वास्थ्य

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/15- 492 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / श्रम संसाधन विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

19/3/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-7/15- 492 / वि०स०, पटना, दिनांक- 19 मार्च, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

19/3/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।